निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 64 वर्ष 2018-2019

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल, उधमसिंहनगर ,द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल, उधमसिंहनगर के माह 11/2017 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 17/10/2018 से 22/10/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा प प्रदीप कुमार श्रीवास्तव एवं सुनील कुमार,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13/11/2017 से 17/11/2017 स तक श्री जग मोहन सिंह रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2014 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2017 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिचाई विभाग का कार्य यह की निर्माण कार्य के रूप मे सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण उत्तराखंड ।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-2016	-	-	52.50	49.63			2.87	-
2016-2017	-	-	76.05	62.94			13.11	-
2017-2018	-	-	95.40	81.01			14.39	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम (नाबार्ड)	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		शून्य			

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(iii) इकाई की श्रेणी “सी” है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(1) सचिव , सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अभियंता, गड़वाल क्षेत्र स्तर -2, मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संस्थान कलागड़, मुख्य अभियंता परियोजना गड़वाल यमुना कालोनी देहारादून, मुख्य अभियंता परिकल्प रुड़की, मुख्य अभियंता स्तर -2 हरिद्वार, मुख्य अभियंता यांत्रिक देहरादून, अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल देहारादून , अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल रुड़की ।

(4) अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल रुद्रप्रयाग (5) अधिशासी अभियंता (6) साहयक अभियंता

(7) कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) साहयक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान साहयक ,(7) वरिष्ठ साहयक ,(8) कनिष्क साहयक ।

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्यमण्डल उधमसिंहनगर को (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्यमण्डल उधमसिंहनगर, (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह .... 08/2018 एव..... को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा ......13........., लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–2 'ब'

प्रस्तर–1 विभागीय उदासीनता एवं असम्यक नियोजन के कारण सिडकुल लोअर बन्ध निर्माण योजना का विगत 12 वर्षो से अपूर्ण रहना।

जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज में सिडकुल औद्योगिक पार्क को बैगुल नदी की बाढ़ से बचाने हेतु सिडकुल लोअर बन्ध निर्माण की योजना वर्ष 2006 को स्वीकृत हुई थी। योजना हेतु रू0 92.92 लाख की राशि स्वीकृत थी तथा सिंचाई विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2008 तक कार्य पर रू0 41.88 लाख का व्यय कर 1200मी0 लम्बाई में सिडकुल लोअर बन्ध का निर्माण किया गया था। जबकि योजना प्रावधान के अनुसार कुल 2100 मी0 लम्बाई में लोअर बन्ध का निर्माण किया जाना था। वर्ष 2008 के पश्चात सामग्री व श्रमिक दरों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण निर्माण कार्य नही कराया जा सका था। वर्ष 2008 के पश्चात सिंचाई विभाग के पास रू0 54.43 लाख शेष थे। जिसमें कार्य का अंश रू0 51.04 लाख एवं सेन्टेज चार्ज रू0 3.39 लाख था। नवम्बर 2014 में सिंचाई विभाग द्वारा अवशेष कार्य हेतु रू0 94.47 लाख की लागत का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रेषित किया गया था जिसके परिपेक्ष्य में सिडकुल द्वारा अवशेष धनराशि में 476.80 मी0 लम्बाई में लोअर बन्ध निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी जिसकी तकनीकी स्वीकृति नवमब्र 2017 में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, सितारगंज द्वारा प्रदान की गयी थी। सितम्बर 2018 की भौतिक प्रगति के अनुसार सिंचाई खण्ड द्वारा धनराशि रू0 36.98 लाख व्यय कर 150 मी0 कार्य का सम्पादन किया गया था। इस प्रकार विगत 12 वर्षो से सिडकुल लोअर बन्ध निर्माण योजना अपूर्ण थी।

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य से पूर्व बैगुल नदी पर रेगुलेटर का कार्य पूर्ण कराया जाना अति आवश्यक था।

उत्तर सम्पेक्षा को मान्य नही था क्योंकि वर्ष 2008 में विभाग को ज्ञात था कि अवशेष राशि में कार्य पूर्ण कराया जाना संभव नही था, बावजूद इसके कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन कार्य बन्द होने के लगभग 6 वर्ष पश्चात सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किया गया था। दूसरी ओर विभाग द्वारा लेखा परीक्षा को यह भी अवगत कराया गया था कि उक्त कार्य के पूर्व रेगुलेटर का कार्य पूर्ण कराया जाना आवश्यक था जबकि वर्ष 2008 में सामग्री व श्रमिकों की दरों में वृद्धि के कारण कार्य को रोका गया था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
53/2017-18	-	1,2	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

अनुपालन आख्या प्रेषित कर दी गई है

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतुअधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्यमण्डल उधमसिंहनगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1)	श्री दीप चंद्र पांडे	अधीक्षण अभियंता
(2)	श्री प्रमोद कुमार दीक्षित	अधीक्षण अभियंता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्यमण्डल उधमसिंहनगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कौलागढ़,देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2